



न्यायालय

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, मध्यप्रदेश

(नया पुलिस कंट्रोल रूम, चतुर्थ तल, जहांगीराबाद- भोपाल- 462008)

क्र.-पु.आयु./न.नि.क./भोपाल/ आ० 31 /26

दिनांक- 19 /10/2026

//आदेश//

(अंतर्गत धारा- 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

प्रायः देखने में आ रहा है कि भोपाल शहर के रोशनपुरा चौराहा पर आये दिन किसी भी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन आदि कार्यक्रम के आयोजन किये जाते हैं एवं उक्त कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है।

शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित रोशनपुरा चौराहा शहर के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे- राजभवन, एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल एवं गांधी मेडिकल कॉलेज आदि स्थलों पर आने-जाने हेतु महत्वपूर्ण मार्ग है, साथ ही शहर में आपातकालीन/आकस्मिक सेवाओं (इमरजेंसी सर्विस) जैसे- एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड आदि के आवागमन एवं विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान आवागमन हेतु भी यह महत्वपूर्ण मार्ग होता है।

रोशनपुरा चौराहा शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित होने से उक्त स्थल पर हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन आदि कार्यक्रम के आयोजन किये जाने से यातायात बाधित होता है जिससे आमजनता को आवागमन में अत्यंत कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजित किये जाने से आपातकालीन/आकस्मिक सेवाओं के परिवहन में भी परेशानियों से मरीजों के जीवन में संकट उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत रोशनपुरा चौराहा पर हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन आदि कार्यक्रम के आयोजन को किये जाने से रोकने हेतु उक्त क्षेत्र को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा – 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रोशनपुरा चौराहा पर किये जाने वाले समस्त हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन कार्यक्रम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ।

समयाभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर किन्ही भी लागू शर्तों से छूट ले सकेगा। यह आदेश लागू होने की दिनांक से आगामी 02 माह तक वैध रहेगा।

आज दिनांक 19 /10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2026.10.19
17:00:06 +05'30'
(संजय कुमार भा.पु.से.)
पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
2. कलेक्टर जिला भोपाल।
3. आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल।
4. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/ अपराध एवं मुख्यालय नगरीय पुलिस भोपाल।
5. आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
7. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
8. समस्त थाना प्रभारी नगरीय पुलिस भोपाल।
9. प्रभारी भोपाल आई पुलिस वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2026.10.19
17:01:02 +05'30'
पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल